को पेश होवे।

SDO

13.08.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया है कि ग्राम मेरोप में प्रार्थी की खातेदारी जमीन से होकर ग्राम पंचायत थम्बोला द्वारा जबरन सड़क निकालने की संभावना है। अतः विपक्षी सं. 01 व 02 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि मौजा मेरोप के ख.सं. 12 रकबा 0.3480 हैक्ट. ख.सं. 29 रकबा 0.5747 हैक्ट. में से किसी भी जमीन पर किसी तरह की कोई सड़क पंचायत नहीं निकाले न ही पंचायत के सदस्य या एजेंट को निकलवायें। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। ग्रा.पं. थम्बोला द्वारा प्रार्थी की भूमि से कोई सड़क निकालने की योजना नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

ग्राम पंचायत द्वारा हल्का पटवारी से ख.नं. 16 जो कि राजस्व रिकॉर्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज है पर लाइटिंग की थी। प्रार्थी ग्राम पंचायत के कार्य में रुकावट पैदा करना चाहता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में रास्ता नहीं निकाला जा रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गयी। तहसीलदार के जवाब अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा बिलानाम रास्ते की भूमि से सड़क निकालने हेतु ख.नं. 16 जो बिलानाम रास्ता है, पर लाइटिंग की गई थी। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा